

राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक प. 1 (31) त.शि./2008 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 5.07.2021

1. कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
2. कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
3. निदेशक/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।

विषय:- प्रदेश में तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में दिशा-निर्देश।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत तकनीकी विश्वविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 की परीक्षाओं के संबंध में निम्नानुसार सामान्य निर्देश (General directions) प्रसारित किये जाते हैं :-

1. गत वर्ष राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा एवं बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर में बीटेक, बीआर्क, एमटेक, एमसीए, एमबीए व अन्य कक्षाओं के अंतिम वर्ष/अंतिम सेमेस्टर की शेष रही परीक्षाओं को ऑफलाईन आयोजित किया गया था। इस वर्ष उक्त परीक्षाओं को ऑफलाईन/ऑनलाईन आयोजित किया जावे।
2. अन्य शेष समस्त सेमेस्टर/वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट किया जावें।
3. जहाँ आवश्यक हो, विश्वविद्यालय अपने सक्षम निकायों से इनका अनुमोदन प्राप्त करें।
4. विश्वविद्यालयों द्वारा जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह/अगस्त 2021 के प्रथम सप्ताह से परीक्षाएं प्रारम्भ कर यथा सम्भव 30 सितम्बर 2021 तक परीक्षा परिणाम जारी करें।
5. बोर्ड ऑफ़ टेक्निकल एज्युकेशन राजस्थान के अंतर्गत पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के तृतीय वर्ष के छात्रों की ऑफलाईन परीक्षाएं जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह अथवा अगस्त 2021 के प्रथम सप्ताह में परीक्षा आयोजित करवाई जावें एवं 30 सितम्बर 2021 तक परीक्षा-परिणाम जारी करें।
6. पॉलिटेक्निक के प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को विगत वर्ष की भांति Performance Based Formula के तहत कमोन्त किया जावें।
7. परीक्षा की अवधि 03 घण्टे के स्थान पर प्रति पेपर 1.5 घण्टे रखी जावें एवं प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों को आनुपातिक रूप से संशोधित किया जायें।
8. परीक्षा केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अनुसार सुनिश्चित की जावें।
9. विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के आवास के लिए कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुये छात्रावास परीक्षा अवधि तक खोले जा सकते हैं।
10. उपर्युक्त दिशा निर्देश नियमित, स्वयंपाठी तथा पूर्व छात्र (Ex Students) वर्गों के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।
11. छात्रहित में परीक्षा एवं परिणाम संबंधी कार्यवाही अविलम्ब सम्पादित की जावें ताकि अगला सत्र शीघ्र प्रारम्भ हो सके।

यह भी सुनिश्चित किया जाये कि यदि कोई छात्र उपरोक्त प्रक्रिया से प्राप्त परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट रहता है तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा आयोजित की जावें।

भवदीय


(एन.एल.मीना)

शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, मा0 कुलाधिपति एवं राज्यपाल, राजस्थान, राजभवन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, माननीय तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा।
5. सचिव, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
6. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
7. कुलसचिव, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा